न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3022–एक/2015 विरूद्ध आदेश दिनॉक 29–8–2008 –पारित व्दारा – आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 50/2005–06 निगरानी

1– कप्तान पुत्र छोटे मेहतर
2– श्रीपति ।
3– मुन्नेश । तीनों पुत्रगण संपतिया
4– सुल्तान ।
5– जतन ।
6– तिनुकी । दोनों पुत्रगण मुल्ला जाटव
सभी निवासी ग्राम हीरापुर तहसील सवलगढ़
जिला मुरैना मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– रनवीर सिंह पुत्र नाथूसिंह
2– दयाल सिंह पुत्र रनवीर सिंह
3– सूर्यभानसिंह जादौन पुत्र उॅकारसिंह
4– श्रीमती पुष्पा जादौन पत्नि सूर्यभानसिंह
5– मनोज सिंह पुत्र सूर्यभान सिंह
6– वर्षा जादौन पत्नि मनोज सिंह
7– शिवप्रताप सिंह पुत्र सूर्यभानसिंह
निवासी ग्राम हीरापुर तहसील सवलगढ़
8– रबि बॅजारा मौजा पटवारी हीरापुर
व्दारा तहसीलदार सवलगढ़ जिला मुरैना ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री रामसेवक शर्मा)
(अनावेदक क. 1,2 के अभिभाषक श्री पी.के.तिवारी)
(शेष अनावेदकगण के अभिभाषक एस.के.अवस्थी)

आ दे श

(आज दिनांक 20 – 1 –2017 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 50/2005–06 निगरानी में पारित आदेश दि. 29.8.08

के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि मध्य प्रदेश शासन के भूमि बन्टन दिशा निर्देशों के प्रकाश में कलेक्टर मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 434 अ-60/99-2000 में पारित आदेश दिनांक 28-6-2000 से ग्राम हीरापुर की भूमि कुल किता 10 कुल रकबा 17.94 हैक्टर बन्टन के उद्वेश्य से काविलकास्त घोषित की गई। तहसीलदार सवलगढ़ ने प्रकरण कमांक 7/1999-2000 अ-19 पंजीबद्व किया तथा भूमिहीनों से आवेदन पत्र आमंत्रित कर आदेश दिनांक 27-7-2002 से आवेदकगण के हित में भूमि सर्वे कमांक 691,692,698,699,673 रकबा 3.04 हैक्टर भूमि का आवंटन किया। तहसीलदार के आवंटन आदेश के विरूद्व अनावेदक रणवीर सिंह एंव दयाल सिंह ने अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ के यहॉ अपील कमांक 19/99-2000 प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 29-1-2002 पारित करके भूमि बन्टन निरस्त कर दिया । इस आदेश के विरूद्व आवेदकगण ने अपर कलेक्टर मुरैना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर मुरैना ने प्रकरण कमांक 23/03-04 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30.12.05 से निगरानी के श्रवणाधिकार न होने से निरस्त कर दी। आवेदकगण ने अपर कलेक्टर मुरैना के आदेश दिनांक 30.12.05 के कम में अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ के अपील कमांक 19/99-2000 में पारित आदेश दिनांक 29-1-2002 के विरूद्व आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। आयुक्त व्दारा प्रकरण कमांक 50/2005-06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29-8-2008 से निगरानी निरस्त कर दी। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर हितबद्ध पक्षकारों के अभिभाषकों को सुना गया। अनावेदक कमांक 3 से 7 ने लिखित बहस प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ हितबद्ध पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्को पर एंव अनावेदक कमांक 3 से 7 व्दारा प्रस्तुत लिखित बहस के तथ्यों तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ ने आदेश दिनांक 29-1-2002 से भूमि बन्टन इसलिये निरस्त किया है कि भूमि बन्टन के प्रकरण में उद्घोषणा पर भूमि बन्टन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। यदि भूमि बन्टन की उद्घोषणा जारी नहीं हुई होती, तब आवेदकगण एंव अन्य ग्रामीणों ने भूमि बन्टन हेतु आवेदन किस आधार पर प्रस्तुत कर दिये, अनुविभागीय अधिकारी के निष्कर्ष से विपरीत स्थिति है। तात्पर्य यह है कि भले ही उदघोषणा की कार्यालयीलन प्रति पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर छूट गये हैं किन्तु ग्रामीणों के आवेदन पत्र उद्घोषणा के कम में प्रस्तुत होना दर्शाता है कि इस्तहार का प्रकाशन हुआ है। इसी प्रकार भूमि बन्टन निरस्त करने का एक आधार यह लिया गया है कि आपत्तियॉ आमंत्रण हेतु विज्ञप्ति का प्रकाशन नहीं किया गया। जब इस्तहार का प्रकाशन होना एंव आवेदन पत्र निर्धारित अवधि तक प्राप्त करने का प्रमाण है - अनुविभागीय अधिकारी आपत्ति आमंत्रण के लिये प्रथक से कौनसी विज्ञप्ति देखना चाहते थे स्पष्ट नहीं किया है इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी का यह निर्णय भी दोषपूर्ण है क्योंकि अल्प तकनीकी त्रृटि के कारण भूमि के आवंटितयों को भूमि बन्टन निरस्त करके पुनः श्रमिक बना देना न्यायसंगत नहीं माना जा सकता।

1. इन्दर सिंह तथा अन्य विरूद्ध म0प्र0राज्य 2009 राजस्व निर्णय 251 का न्याय दृष्टांत है कि भूमि का आवन्टन किया गया - सरकारी भूमि घोषित नहीं की जा सकती - क्योंकि सरकारी पदाधिकारियों व्दारा की गई गल्तियों एंव प्रकियात्मक त्रृटि के कारण भूमिहीन बंटितियों को भूमि के आवन्टन के लाभ से बंचित नहीं किया जा सकता।
2. देवी प्रसाद विरूद्ध नाके 1975 JLJ 155=1975 R.N. 67= 1975 R.N. 208 का न्याय दृष्टांत है कि भूमि का आवन्टन किया गया। आवंटिति को भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त। तत्पश्चात् आवंटन रद्ध नहीं किया जा सकता।

किंतु अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ ने वास्तविक स्थिति के विपरीत अर्थ निकाल कर भूमि आवंटन निरस्त करते हुये भूमि शासकीय दर्ज करने का निर्णय लेने में त्रृटि की है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ व्दारा पारित आदेश दिनांक 29-1-2002 तथा आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा पारित आदेश दिनांक 29-8-2008 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 50/2005-06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29.8.08 एंव अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 19/1999-2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-1-2002 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं एंव तहसीलदार सवलगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 7/99-2000 अ-19 में पारित आदेश दिनांक 27-7-2000 से आवेदकगण के हित में किया गया भूमि बन्टन यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर